न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 490 सन 2018
अनवान :—

1. बसन्तसिह पुत्र नछतरसिह जाति जटसिख निवासी चक 16 जेएसएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :— श्री हवासिह अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :— 01/01/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 41/36 के प0न0 335/407(56) किला न0 24 ,25 /0.4810 हैक्ट प0न0 338/408(60) किला न0 8 ता 13 ,18 ता 23/2.9360हैक्ट , प0न0 337/408(61) किला न0 1 ता 25/6.200 प0न0 336/408(62) किला न0 1 ता 25/6.3250हैक्ट प0न0 335/408(63) किला न0 4 ता 7 ,14 ता 17 ,24 ता 25/2.4050 प0न0 336/409(67) किला न0 1 ता 15/3.7950हैक्ट प0न0 337/409(68) किला न0 1 ता 15/3.7200 , प0न0 338/409)69) किला न0 1 ता 3 ,8 ता 13/2.2020हैक्ट कुल 28.0640हैक्ट भूमि में 1/12 हिस्सा का खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के पिता का नाम वाद राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहवन से निछावरसिह दर्ज हो गया है वादी को बसन्तसिह पुत्र नछतरसिह , बसन्तसिह पुत्र निछावरसिह दोनो नामों से जाना जाता है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम निछावरसिह दर्ज हो गया है जबकि वादी के अन्य सभी दस्तावेजात मतदाता फोटो पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड , बैक की पास बुक , पेन कार्ड , सभी में बसन्तसिह पुत्र नछतरसिह दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी /पेरोकार राज को तलब किया गया । पेरोकार न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 41/36 की कुल 28.0640हैक्ट भूमि में 1/12 हिस्सा है

वादी के पिता का नाम वाद राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहवन से निछावरसिह दर्ज हो गया है वादी को बसन्तसिह पुत्र नछतरसिह , बसन्तसिह पुत्र निछावरसिह दोनो नामों से जाना जाता है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम निछावरसिह दर्ज हो गया है जबकि वादी के अन्य सभी दस्तावेजात मतदाता फोटो पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड , बैक की पास बुक , पेन कार्ड , सभी में बसन्तसिह पुत्र नछतरसिह दर्ज है सरपंच ग्राम पंचायत दोलणवाला के अनुसार भी वादी के पिता का सही नाम नछतरसिह है वादी के पिता का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 41/36 में वादी का नाम बसन्तसिह पुत्र निछावरसिह के स्थान पर बसन्तसिह पुत्र नछतरसिह राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने कर जमाबन्दी संशोधन करने के आदेश फरमावें।

पेरोंकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या41/36 की कुल 28.0640हैक्ट

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

में वादी के नाम से 1/12 हिस्सा भूमि दर्ज है जिसमें वादी का नाम बसन्तसिह पुत्र निछावरसिह दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय वादी के पिता का नाम निछतरसिह के स्थान पर निछावरसिह दर्ज किया गया है सही नाम निछतरसिह है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैक पास बुक , आयकार विभाग का पेन कार्ड सभी में वादी के नाम निछतरसिह दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत दोलणवाला के अनुसार भी निछतरसिह एवं निछावरसिह दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है सही नाम निछतरसिह है वादी के पिता का सही नाम निछतरसिह होना प्रतित होता है।

इसप्रकार वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात पेरोकार भूमिधारी द्वारा वादी के जबाब के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही किया गया है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्राम पंचायत दोलणवाला के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 41/36 की कुल 28.0640हैक्ट में वादी के नाम से दर्ज 1/12 हिस्सा में बसन्तसिह पुत्र निछावरसिह दर्ज है के स्थान पर बसन्तसिह पुत्र निछतरसिह उर्फ निछावरसिह संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/01/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. बसन्तसिह पुत्र नछतरसिह जाति जटसिख निवासी चक 16 जेएसएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 504 सन 2018 निर्णय दिनांक– 01/01/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 41/36 की कुल 28.0640हैक में वादी के नाम से दर्ज 1/12 हिस्सा में बसन्तसिह पुत्र निछावरसिह दर्ज है के स्थान पर बसन्तसिह पुत्र निछतरसिह उर्फ निछावरसिह संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/01/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ़)